GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय (RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No.2022/H-1/19/3/NFIR Reps.

New Delhi, Dated 07 .11.2023

The General Managers, All Indian Railways & Production Units.

PCAO/PLW, CAO/RWP & DG/RDSO.

Sub: Revised Performance Bank Guarantee (PBG) rates for Health Care Organizations empanelled by Railways.

Ref:- Railway Board's letters no. 2021/H-1/11/10/MoU dated 22.11.2021 & 03.06.2022.

Representations received from the federations (NFIR&AIRF) regarding the revision of PBG for Health Care Organizations in remote/smaller areas/cities have been under consideration of this office.

The matter has been examined in consultation with the Finance Directorate, Railway Board and the following has been approved by Board:

- a) For CGHS covered cities/areas, the PBG rates would continue to be the same as mentioned in the Railway Board's letter 2021/H-1/11/10/MoU dated 03.06.2022 i.e.
 - (i) Hospitals/Cancer Units: 10 Lakhs
 - (ii) Eye Centers/single Speciality Hospitals/Dental Clinic/Diagnostic Centres: 02 Lakhs
- b) For Non-CGHS covered cities/areas, following PBG rates would apply:
 - (i) Hospitals/Cancer Units: 02 Lakhs
 - (ii) Eye Centers/single Speciality Hospitals/Dental Clinic/Diagnostic Centres: 0.5 Lakhs

Note: PBG for Charitable Hospitals/Organizations would be 50% (fifty percent) of above amount.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(P. M. Meena) Director/Health Railway Board

New Delhi, Dated 07.11.2023

No.2022/H-1/19/3/NFIR Reps.

Contd...

Copy to:

- 1. The PCMDs/PCMOs, All Indian Railways/Production Units & RDSO.
- 2. The Principal Financial Advisors, All Indian Railways & Production Units & RDSO.

(P. M. Meena)
Director/Health
Railway Board
New Delhi, Dated 07.11.2023

No.2022/H-1/19/3/NFIR Reps.

Copy to:

1. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.

2. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

for Member Finance/Railway Board. New Delhi, Dated 07.11.2023

No.2022/H-1/19/3/NFIR Reps.

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, Room no. 253, Rail Bhawan, New Delhi.

2. The General Secretary, NFIR, Room no. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.

For PED(IR), Railway Board

Copy to: F(E) Spl. Branch Railway Board.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड)/RAILWAY BOARD

सं. 2022/H-1/19/3/NFIR Reps.

नई दिल्ली, दिनांक ७७.11.2023

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/पटियाला रेलइंजन कारखाना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/रेल पहिया कारखाना एवं महानिदेशक/अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन।

विषय: रेलों द्वारा पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए संशोधित निष्पादन बैंक गारंटी दरें। संदर्भ: - रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.11.2021 और 03.06.2022 के पत्र सं. 2021/H-1/11/10/MoU.

दूरस्थ/छोटे क्षेत्रों/शहरों में स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के संशोधन के संबंध में फेडरेशनों (एनएफआईआर और एआईआरएफ) से प्राप्त अभ्यावेदन 🦠 इस कार्यालय में विचाराधीन रहे हैं।

इस मामले की रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालयय के परामर्श से जांच की गई है और बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अनुमोदित किया गया है:

- क) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल शहरों/क्षेत्रों के लिए, संशोधित निष्पादन बैंक गारंटी दरें वही रहेंगी जो रेलवे बोर्ड के दिनांक 03.06.2022 के पत्र 2021/H-1/11/10/MoU में उल्लिखित हैं।
 - (i) अस्पताल/कैंसर इकाइयां: ₹ 10 लाख
 - (ii) नेत्र केंद्र/एकल विशेषज्ञता अस्पताल/दंतचिकित्सा क्लीनिक/नैदानिक केंद्र: ₹ 02 लाख
- ख) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत गैर शामिल शहरों/क्षेत्रों के लिए, निम्नलिखित संशोधित निष्पादन बैंक गारंटी दरें लागू होंगी:
 - (i) अस्पताल/कैंसर इकाइयां: ₹ 02 लाख
 - (ii)नेत्र केंद्र/एकल विशेषज्ञता अस्पताल/दंतचिकित्सा क्लीनिक/नैदानिक केंद्र: ₹ 0.5 लाख

नोट: धर्मार्थ अस्पतालों/संगठनों के लिए संशोधित निष्पादन बैंक गारंटी उपरोक्त राशि का 50% (पचास प्रतिशत) होगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है।

(पी.एम. मीणा) निदेशक/स्वास्थ्य

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. सभी भारतीय रेलों/उत्पादन इकाइयों और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/प्रधान मुख्य संचालन प्रबंधक।
- 2. सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयों और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के प्रधान वित्तीय सलाहकार।

(पी.एम. मीणा) निदेशक/स्वास्थ्य रेलवे बोर्ड

सं. 2022/H-1/19/3/NFIR Reps.

नई दिल्ली, दिनांक ० 7.11.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. सभी भारतीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक।
- 2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

सं. 2022/H-1/19/3/NFIR Reps.

नई दिल्ली, दिनांक ० 7.11.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध), रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: एफ(ई) स्पे . रेलवे बोर्ड की शाखा